	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2020 शमशुददीन बनाम नगर सुधार न्यास अजमेर अन्तर्गत धारा 212 आरटीए	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.09.2021	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। जीए उपस्थित। आज जवाब हेतु समय चाहते है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा निवदेन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दिनांक 30.09.2020 से पूर्व न्यायालय के विधि सम्मत नोटिस प्रकरण दायर के उपरान्त तामिल हो चुके है। जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी आज दिनांक तक जवाब सरकार प्रस्तुत नही किया गया है। अतः जवाब सरकार बंद फरमाया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जवाब सरकार हेतु नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अपना जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे जवाब सरकार बंद किया जाता है। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर सुनवाई किये जाने का निवदेन किया एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवदेन किया कि प्रकरण मे विचाराधीन विवादित आराजी पर प्रार्थी के पूर्वज तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थी विवादित आराजी पर अपने बुजुर्गो के समय से खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नरेगा कार्य कराया जा रहा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का भरसक प्रयास करने पर आमादा है। यदि वे ऐसा करने मे सफल हो गये तो प्रार्थी उक्त आराजी से महरूम हो जाएगे। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पांबद फरमाया जावे। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा सूची फर्द दस्तावेजात मय फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल हो। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री गिरिश पारिक ने अपने जवाब दिनांक 08.09.2021 मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि सिवायचक दर्ज थी। राजकीय सिवायचक भूमि को आबादी विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को दिनांक 27.09.2013 को नोटिफाइड कर हस्तानान्तरण की गई है जिस पर अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम नामान्तकरण तस्दीक हो चुका है। प्राधिकरण बहैसियत खातेदार काबिजकाश्त चली आ रही है जिस पर आवासीय योजना विकसित की जा रही है एवं खसरा नम्बर 1772 मे 2-3 बीघा भूमि प्राथिमिक स्वास्थ्य केन्द्र उंटडा को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एव अपूर्णीय क्षति का बिन्दु अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के पक्ष मे निहित करता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा फर्ददस्तावेजात के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उटंडा एवं राजस्व नक्शे की फोटो कॉपी पेश की जो शामिल मिसल हो। पत्रावली दिनांक 28.09.2021 को वास्ते आदेश पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर	
28.9.21	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक [illegible] निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया [illegible] गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.29 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) महोदय, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 36/2020

शमशुद्दीन पुत्र श्री कमरूद्दीन, निवासी ग्राम उटंडा तहसील व जिला अजमेर राजस्थान।

--प्रार्थी

बनाम

1. नगर सुधान न्यास, अजमेर जरिए, सचिव।
2. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

--अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

समक्ष

श्रीमति तारामति वैष्णव आर0ए0एस0

उपस्थितः-

1– श्री रूपक शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी

2-- श्री गिरीश पारीक — अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 28.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाता खसरा नम्बरान की भूमि को वाकै ग्राम उंटडा तहसील व जिला अजमेर मे स्थित है आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबन्दी खसरा नम्बर 916 रकबा30–12–10 जिसके खसरा नम्बर1069रकबा00--09--00, खसरा, नम्बर1070 रकबा 00–12–00, खसरा नम्बर 1074 रकबा 00–14–00, खसरा नम्बर 1074 रकबा 28–17–00 कायम किये गये। उपरोक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.08 है0, 1767/3653 रकबा 0.10 है0, 1761/3726 रकबा 0.11 है0, 1769 रकबा 1.42 है0, 1770 रकबा 0.27 है0, 1771रकबा 0.18 है0, 1772 रकबा 1.90 है0 1781 रकबा 0.10 है0कायम किए गए है आराजी मुतनाता पर पक्षकारान् खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के खानदान के सदस्य नसरून, रूकैया, सदरूद्दीन, अनीसा, नफीसा मोईनुददीन पुत्रीगण/पुत्रगण [illegible] तहसील व जिला अजमेर राजस्थान श्रीमति हमीदा पुत्री श्री कमरूददीन, श्री[illegible] कमरूददीन श्रीमति सदरून पुत्री कनरूद्दीन सम[illegible] जिला अजमेर राजस्थान अपने बुजुर्गो के समय से [illegible] काबिज चले [illegible] जब तक बुजुर्ग मौला बक्श पुत्र श्री मिश्री खां जिन्दा [illegible] के पश्चात् सभी पक्षकारान् अपने अपने हिस्से पर खातेदार काश्तकार काबिज चले [illegible] है। प्रार्थी के परिवार के सदस्य के बुजुर्ग जब तक जिन्दा थे तब तक खातेदार काश्तकार काबिज थे उनके इंतकाल के पश्चात् प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार के सदस्य अपने अपने हिस्सो पर खातेदार काश्तकार काबिज चल आ रहे है। जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आराजी मुतनाजा का नामन्तकरण संख्या 148 दिनांक 09.01.2014 को

सहायक कलेक्टर (मु.) अजमेर

सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.29 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उपरोक्त खाता खसरा नम्बरान की भूमि वादी के खातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। इस कारण प्रार्थी को अधिकाधिक घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। साथ मे धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे है क्योंकि आराजी पर मौजूदा सूरत मे प्रार्थी एवं प्रार्थी का खानदान संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार काबिज है इस कारण मूल वाद के निर्णय यह प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित एवं अतिआवश्यक है। आराजी मुतनाजा पीढी दर पीढी खातेदारी मे होकर काबिज काश्त चली आ रही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आराजी को सिवायचक खाते में दर्ज कर दिया इसके पश्चात् नगर सुधार न्यास के नाम दर्ज कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य है। जबकि मौजूदा सूरत में प्रार्थी द्वारा बोई गई ज्वार बाजरा की फसल खडी है। अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 को ताफैसला मूल वाद के विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को पाबंद नहीं किया गया तो आराजी मुमताजा को खुर्द बुर्द कर देगें, रहन बेचार कर देंगे अन्य को आवंटित कर दिया जायेगा जिससे प्रार्थी को आर्थिक एवं मानसिक क्षति कराति होगी। जमाबंदी 2065 से 2084 में प्रार्थी खसरा नम्बर 1572 नियमन द्वारा नामान्तकरण संख्या 311 दिनांक 17.07.2002 रकबा 0.08 है0 कमरू खां बल्द भोलू खां जा प्रार्थी के पिता है गैर खातेदारी मे दर्ज किया गया तथा दिनांक 15.01.2007 को नामान्तरण संख्या 677 के तहत खसरा संख्या 1772 रकबा 0.08 है0 कमरू खां पुत्र भोलू के स्थान पर गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज कर दी गई है। खसरा गिरदावरी 2069 से 2072 में वादी द्वारा बोयी गयी ज्वार मक्का की फसलों का इन्द्राज है। जो प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे है यदि ताफैसला मूल वाद स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया तो प्रार्थी को ही आर्थिक व मानसिक क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा में नहीं की जा सकती। आराजी मुतनाजा आज भी प्रार्थी के कब्जे मे है तथा प्रार्थी ही मालिक काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर खातेदारी की आराजी को गैरकानूनी रूप से सिवायचक दर्ज कर नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज किया गया है। [illegible] आराजी पर समय समय पर बैंक से ऋण प्राप्त किया है तथा फसलों का उत्प[illegible] इस कारण प्रार्थी ही मालिक काबिज है प्रथम दृष्टया [illegible] क्षति प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की गयी [illegible] को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा मे नहीं की जा सकती। अतः कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे, अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखल अंदाजी नही करे, न ही अपने कर्मचारियों से करवाए ताफैसला मूल वाद कब्जे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति कायम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.29 15:18:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 08.09.2021 को अपना जवाब प्रार्थना पत्र

सहायक कलेक्टर मुख्यालय अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

Scanned with CamScanner

212 प्रस्तुत किया। जिसकी प्रति प्रार्थी अभिभाषक को प्रदान की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का जवाब दिनांक 14.09.2021 को जवाब सरकार बन्द किया गया।

उभय पक्ष के अभिभाषक ने दिनांक 14.09.2021 को प्रकरण मे बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक के द्वारा जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम उंटडा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित होना की हद तक स्वीकार है। अन्य कथन असत्य होकर अस्वीकार है। पैरा संख्या 2 मे वर्णित कथन पूर्णतया असत्य है विवादित आराजियात अजमेर विकास प्राधिकरण के कब्जे काश्त मे है। पैरा संख्या 3 में वर्णित कथन गलत होकर रिकार्ड से सम्बन्धित है वादी स्वयं सिद्व करे। पैरा संख्या 4 में वर्णित कथन वादी स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित कथन गलत होकर अस्वीकार हैं। विवादित भूमि सिवायचक दर्ज थी एवं राजकीय सिवायचक कब्जे राज भूमि को आबादी विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण को जिला कलेक्टर द्वारा आदेश कमांक : कअं/राजस्व/एफ 12(सी)()/13/292 दिनांक 27.09.2013 को क0सं0 139, 140, 141, 142, 369, 370, 378 पर नोटिफाईड कर हस्तांतरित की गयी है जिसके आधार पर अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया गया है, तब से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना विकसित की जा रही है। एवं खसरा नम्बर 1772 मे 2–3 बीघा भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उंटडा को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व प्रविष्टि को यथावत दोहराया गया है अर्थात परिवर्तित नहीं की गयी है एवं कोई गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज अंकित नहीं किये गए। इस प्रकार धारा 212 के मूल तत्व प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णयनीय क्षति के बिन्दू अजमेर विकास प्राधिकरण के पक्ष मे है जिससे धारा 212 का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 6 मे वर्णित कथन वादी का पारिवारिक सजरा है जिसे वादी स्वयं सिद्व करे। वर्णित कथन पूर्णतया असत्य होकर अस्वीकार है विवादित आराजियात अजमेर विकास प्राधिकरण के कब्जे काश्त मे है ओर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना विकसित की जा रही है। एवं खसरा नम्बर 1772 मे 2–3 बीघा भूमि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उंटडा को आवंटित किया [illegible] है। पैरा संख्या 8 मे वर्णित कथन गलत होकर अस्वीका[illegible] के आदेश दिनांक 27.09.2013 के अजमेर विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित हुई [illegible] आदेश की पालना मे तहसीलदार द्वारा नामान्तरण संख्या 148 दिनांक 9.1.2014 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किया है इसके तहसीलदार महोदय द्वारा अपने [illegible]धिकार का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नही किया गया है और ना ही अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया गया है। और विवादित भूमि वर्तमान अजमेर विकास प्राधिकरण के कब्जे मे है। विवादित आराजियात अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होकर अजमेर विकास

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.29 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कलक्टर (मु.) अजमेर

Scanned with CamScanner

प्राधिकरण के कब्जे काश्त में है। इस प्रकार रिकार्डेड खातेदार अजमेर विकास प्राधिकरण, रिकार्डेड खातेदार होकर विवादित आराजियात के सम्बन्ध मे अपने विधिक अधिकारो का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है जिसे नाजायज रूप से वादी द्वारा पाबन्द करवाया जा रहा है एवं वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण बहैसियत स्वत्वाधिकारी/खातेदार होकर काबिज है जिससे प्रथम दष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति इत्यादि समस्त सिद्धान्त अप्रार्थी संख्या 1 के हक में है। जिससे वादीगण का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि पर बरवक्त प्रस्तुती वाद वादीगण का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा जिससे कब्जे के अभाव में वाद पत्र काबिल निरस्त योग्य है। जब वाद ही चलने योग्य नही है तो अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना भी स्वतः ही सारहीन हो जाता है। वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र लगभग 7 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो मयाद बाहर होकर काबिल निरस्त योग्य है। ऐसे मे इतने वर्षो बाद खातेदार को स्थगन से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। वादग्रस्त भूमि सिवायचक कब्जेकाश्त वर्षो तक रही लेकिन वादीगण द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के पश्चात भी लगभग 7 वर्ष पश्चात वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे दिनांक 26.06.2020 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ जिसके वाद कारण के अभाव में वाद पत्र काबिल निरस्त योग्य है।

हमने उभय पक्ष के अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय द्वारा निम्नाकित तीन बिन्दुओ पर विश्लेषण करना है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण:–

उपरोक्त प्रकरण मे पत्रावली के अवलोकन एंव दस्तावेज के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुतनाजा अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर के नाम दर्ज है उपरोक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को जिला कलक्टर अजमेर द्वारा उल्लेखित आदेश से अन्तरित की गई है। जिस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उंटडा के भवन के निमार्ण हेतु आरक्षित की कार्यवाही अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर मे विचाराधीन है। प्रार्थी के द्वारा अपने आपको विवादित आराजी मुतनाजा का आवंटी होकर गैर खातेदार दर्ज होने के तथ्य अपने प्रार्थना [illegible] प्रस्तुत [illegible] परन्तु कोई आवंटन आदेश की प्रति भी पत्रावली पर प्रस्तुत नही की गई है [illegible] प्रतीत [illegible] की उपरोक्त आराजी मुतनाजा पूर्व मे कभी प्रार्थीगण [illegible] राजस्व अभिलेख मे दर्ज रही हो। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] निहित करता है। जो की राजस्व अभिलेख मे खातेदार दर्ज है एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा की अज्ञाप्ति से पाबन्द किया जाना न्याय संगत नही है। अतः [illegible] बिन्दु अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे तय किया जाता है।

सुविधा का सन्तुलन:–

चूंकि विवादित आराजी मुतनाजा राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज होकर होकर अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर को विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत स्थानान्तरित की गई है।

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.29 16:18:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा मात्र अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की भूमि पर अतिक्रमण कर अनुतोष प्राप्त किये जाने की मंशा से उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा जन उपयोग हेतु निमार्णाधीन सामुदायिक भवन के निमार्ण मे अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होना तय है। जिसे रोका जाना न्याय की दृष्टि से उचित नही है। अतः उक्त बिन्दु भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे निहित करता है। ऐसी स्थिति मे उक्त बिन्दु भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे तय किया जाता है।

अपूरणीय क्षतिः–

बिन्दु संख्या 1 व 2 अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे तय हो जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे निरन्तर कब्जे के अभाव प्रतीत नही होता है अतः उक्त बिन्दु भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे तय किया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया व मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर (मु0)
सहायककलेक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2021.09.29 15:18:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner